



## BIHAR STATE ELECTRONICS DEVELOPMENT CORPORATION LTD.

(A Bihar Government undertaking)

Beltron Bhawan, Shastri Nagar,  
Patna – 800 023. Bihar,(India)

Help Desk No.-0612-2281814, 2281815

पत्रांक—6637 / 19

दिनांक—08.11.19

### सूचना

**बेल्ट्रॉन के माध्यम से संविदा पर कार्य करने के इच्छुक रजिस्टर्ड DEO अभ्यर्थियों की दक्षता परीक्षा सूचना।**

1. मार्च—अप्रैल 2019 में संपन्न (विज्ञापन सं० 1754 / 19 दिनांक 08.03.19) ऑन—लाईन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया से रजिस्टर कराए हुए अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि संविदा आधारित नियोजन की सूचीबद्धता के लिए आयोजित की जाने वाली दक्षता परीक्षा नवम्बर—दिसम्बर 2019 में आयोजित की जा रही है, जिसका आरम्भ 27 नवम्बर 2019 से हो जायेगा। परीक्षाएँ पटना में TCS-iON के परीक्षा केन्द्र पर आयोजित होंगी।

2. प्रस्तावित दक्षता परीक्षा कम्प्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) होगी। प्रथमतः अभ्यर्थियों के कम्प्यूटर ज्ञान की परीक्षा होगी। परीक्षा एक घंटे की होगी जिसमें 60 वस्तुनिष्ठ MCQ प्रश्न पूछे जायेंगे जिसमें उत्तीर्णता हेतु 50% अंक लाना आवश्यक होगा। MCQ परीक्षा का सिलेबस नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (NIOS) के डाटा इन्फ्री ऑपरेटर के सिलेबस (कोड संख्या 336) के समान होगा, जिसे इस सूचना के साथ प्रकाशित किया जा रहा है।

3. इस परीक्षा में उत्तीर्णता के पश्चात टाईपिंग दक्षता परीक्षा आयोजित की जायेगी। जिसकी विधिवत सूचना समाचार पत्रों एवं वेबसाईट के माध्यम से अलग से दी जायगी। हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों के टाईपिंग की दक्षता परीक्षा एक ही दिन कम्प्यूटर पर ली जायगी। प्रत्येक टाईपिंग परीक्षा 10 मिनट की होगी तथा दोनों टेस्ट के बीच दस मिनट का अन्तराल होगा। हिन्दी टाईपिंग टेस्ट मंगल फौन्ट (Mangal Font) तथा रेमिंगटन गेल (Remington-Gail) की—बोर्ड (Key-Board) पर ली जायगी। दक्षता का स्तर अंग्रेजी में न्यूनतम 30 WPM (Correct Words) तथा हिन्दी में न्यूनतम 25 WPM (Correct Words) होगा।

4. इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को संविदा आधारित deployment के लिए सूचीबद्ध कर एक पूल का निर्माण किया जायगा। पूल में सभी आरक्षण कोटियों के अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित दक्षता स्तर पर महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अभ्यर्थियों को प्रत्येक स्तर के मूल्यांकन में 10% तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों को 15% की अधिमानता दी जायगी। विभागों तथा अधियाची कार्यालयों से प्राप्त अधियाचनाओं के विरुद्ध रजिस्ट्रेशन नम्बर के अनुक्रम में अभ्यर्थियों का नाम प्रेषण बेल्ट्रॉन द्वारा सुनिश्चित कराया जायगा। अधियाचना विरुद्ध प्रेषण में राज्य सरकार की आरक्षण नीति का पूर्णतः पालन किया जायगा।

5. DEO के मानदेय का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है तथा सूचना प्रावैधिकी विभाग द्वारा अधिसूचित किया जाता है। मानदेय राशि का समय—समय पर राज्य सरकार के स्तर पर पुनरीक्षण होता है। बेल्ट्रॉन द्वारा केवल इसका अनुपालन किया जाता है। परीक्षा में उत्तीर्णता या पूल में सूचीबद्धता, राज्य सरकार या बेल्ट्रॉन में नियुक्ति का कोई आधार या कारण नहीं होगा।